संख्या–954 / 71–1–08–जी–71 / 2008

प्रेषक,

हरभजन सिंह,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

S. N. MEDICAL COLLEGE, PRINCIPAL, AGRA
No. 322
Date 12/01/09

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1

लखनऊ : दिनांक 06 जनवरी, 2009

विषयः– चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, के अधीनस्थ कार्यालयों (राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं सम्बद्ध संस्थानों आदि) में कार्यरत लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के लिए स्टाफिंग पैटर्न लागू करने के संबंध में।

महोदय,

उर्पयुक्त विषयक आपके पत्र संख्या–एम0ई0–1 क / 2008 / 1226, दिनांक 20.03.2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को पदोन्नति का अवसर सुलभ कराये जाने के उद्देश्य से पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या–2336–सेक–5 / पॉच–85–जी –231 / 1983, दिनांक 29.03.1985 को चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, के अधीनस्थ कार्यालयों (राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं सम्बद्ध संस्थानों आदि) में कार्यरत लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के लिए भी लागू किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(हरभजन सिंह)
सचिव

संख्या–954(1) / 71–1–08, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) महालेखाकर, उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) वित्त नियंत्रक, महानिदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
(3) प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, आगरा / मेरठ / कानपुर / इलाहाबाद / गोरखपुर / झांसी / निदेशक–प्रोफेसर, हृदय रोग संस्थान / जे0के0 कैंसर संस्थान, कानपुर।
(4) वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, आगरा / मेरठ / कानपुर / इलाहाबाद / गोरखपुर / झांसी।
(5) कोषाधिकारी, आगरा / मेरठ / कानपुर / इलाहाबाद / गोरखपुर / झांसी।
(6) गार्ड फाइल / संबंधित समीक्षाधिकारी।

आज्ञा से,

(जविद एहतेशाम)
उप सचिव